भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 265
24.07.2024 को उत्तर देने के लिए

डेटा निजता

265. श्री बैजयंत पांडाः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

सरकार द्वारा सांख्यिकीय सूचना एकत्र करने और प्रसारित करने के संदर्भ में डेटा निजता, गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

सांख्यिकी संग्रहण (सीओएस) अधिनियम, 2008 (2009 का 7) संसद द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 2009 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में कुछ मामलों में सूचना के प्रकटीकरण और उनके उपयोग पर प्रतिबंध का प्रावधान है। अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि व्यक्तियों से संग्रहित सूचना गोपनीय रखी जाएगी और केवल सांख्यिकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। यदि, व्यक्तिगत जानकारी का प्रकाशन/प्रकट करने की आवश्यकता होती है, तो केवल व्यक्ति का पहचान विवरण छिपाकर ही ऐसा किया जाएगा।

इसके अलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी), 2012 के अनुसरण में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2019 को सांख्यिकीय आंकड़ा प्रसारण के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए। इसमें एनडीएसएपी 2012 में निर्धारित समग्र रूपरेखा के अंतर्गत साझा करने योग्य और साझा न करने योग्य डेटा का वर्गीकरण, प्रसार और मूल्य निर्धारण के लिए दिशानिर्देशों का प्रावधान है ।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से एमओएसपीआई द्वारा संग्रहित डेटा साझा करने योग्य और साझा न करने योग्य के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है; जिसमें, ऐसी सूचना जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो सकता हो और/या ऐसी सूचनाएं जो वैयक्तिक सूचनादाताओं/प्रतिष्ठानों के पहचान विवरणों से निहित हैं, से युक्त डेटा को साझा नहीं किया जाता है । ऐसा डेटा, जिससे वैयक्तिक सूचनादाता की पहचान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट करने का प्रयास होता है, साझा नहीं किया जाता है ।

डिजीटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 दिनांक 11 अगस्त, 2023 को लागू किया गया है जो डेटा प्रत्ययी (Data Fiduciaries) को जवाबदेह बनाते हुए डिजीटल व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने हेतु उन्हें बाध्य करता है, साथ ही डेटा सिद्धांतों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी समाहित करता है। डीपीडीपी अधिनियम, व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग के संबंध में एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है और मुख्य सिद्धांत स्थापित करता है । डीपीडीपी अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार, अनुसंधान, संग्रहण या सांख्यिकीय प्रयोजन के लिए आवश्यक व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को डीपीडीपी अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है, बशर्ते कि ऐसी प्रोसेसिंग इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित विधि और तरीके से की जाए।

*****